परिवहन निगम की साधारण बसों के यात्रियों के लिये सुव्यवस्थित खान–पान सुविधा हेतु ''यात्री–प्लाजा'' संचालन के लिये, नीलामी/प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 1467रोपी/20–01जन/यात्री प्लाजा/19 दिनांक 26.11.2020 के अनुपालन में वाराणसी क्षेत्र द्वारा **वाराणसी–प्रयागराज मार्ग पर गोपीगंज में एवं वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा एवं रेनुकूट व अन्य स्थान पर** निगम की साधारण एवं ए.सी. बसों के यात्रियों की सुविधार्थ सुव्यवस्थित खान–पान सुविधा हेतु नवीन यात्री प्लाजा योजना के अर्न्तगत दोनो साईड ''एक एक यात्री प्लाजा'' के अनुबन्ध हेतु 02 बिड प्रणाली के अर्न्तगत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के माध्यम से दिनांक **29.09.2021** को निम्नप्रकार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

1. टेण्डर/प्रस्ताव प्राप्त करने का दिनांक **14.09.2021** से **28.09.2021** तक (कार्यालय दिवस में)
2. टेण्डर/प्रस्ताव जमा करने का दिनांक **29.09.2021** को समय 14:00 बजे तक।
3. टेण्डर/प्रस्ताव खोलने का दिनांक **29.09.2021** को समय 15:00 बजे।

Downloaded From www.upsrtc.com

–:''यात्री प्लाजा'' के नियम एवं शर्तेः–

1. यात्री प्लाजा संचालन हेतु प्राप्त प्रस्ताव बस एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित व उपयुक्त हों।
2. यात्री प्लाजा संचालन हेतु जिन आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या वैध लीज की 4000 वर्ग मीटर भू–स्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा हो और सामने का भाग न्यूनतम 50 मीटर चौड़ा हो, उन्हे अन्य निर्धारित मानको को पूरा करने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
3. अनुबंधित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किंग स्थल को इंटरलॉकिंग होना अनिवार्य है, प्लाजा के फ्रन्ट पर 5X15 फुट का ग्लो साइन बोर्ड, जिस पर निगम का लोगो तथा प्लाजा निगम से अनुबन्धित प्रदर्शित हो, इसके अतिरिक्त सड़क की ओर डबल साइड 6X6 फुट का बोर्ड ''परिवहन निगम का अधिकृत यात्री प्लाजा'' प्रदर्शित हो, पोल या एंगिल माउण्डेड 8 फुट डिस्प्ले रखा जाये। प्लाजा के सामने बोर्ड इस प्रकार लगाया जाये कि बस चालक एवं यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अनुपालन न करने की स्थिति में नोटिस में समय देकर अनुबन्ध समाप्त की कार्यवाही की जायेगी।
4. अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाये रखने के लिए भवन के अग्र भाग/फ्रन्टेड को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, चिन्हित करने में असुविधा न हो। **मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।**
5. यात्री प्लाज संचालक द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

6. अर्नेष्ट मनी के रूप में रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी के नाम प्लेस्ड होगा, टेक्निकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. सफल निविदादाता द्वारा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट निम्नानुसार गणना करके एफडी (फिक्स डिपॉजिट) के रूप में जमा करानी होगी:–
सिक्योरिटी मनी डिपाजिटः– N (प्रश्नगत् रूट जिस पर यात्री प्लाजा स्थित है, से एकल दिशा में चलने वाली दैनिक औसत बसों की संख्या) H (निविदा में सफल निविदादाता द्वारा घोषित उच्चतम प्रति बस हाल्टेज चार्ज) X 60

8. वित्तीय बीड में प्रस्तावित प्रति ठहराव दर में ठहराव शुल्क+जी.एस.टी. का नियमानुसार अंकन किया जायेगा।

9. यात्री प्लाजा के अनुबन्ध हेतु इच्छुक संचालक/ईकाई स्वामी द्वारा प्लाजा संचालन हेतु दिये गये आवेदन पर भू क्षेत्रफल में निर्धारित व्यवस्थाये पूर्ण करने के लिये अधिकतम 03 माह का समय दिया जायेगा। इस निर्धारित अवधि में संचालक द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने की दशा में सिक्योरिटी मनी जब्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

10. किसी भी दशा में यात्री प्लाजा के स्थान के उपर से **विद्युत तार/एच0टी0 लाइन** न जा रही हो।

11. यात्री सुविधा के दृष्टिगत यात्री प्लाजा में साफ–सफाई एवं खान–पान की गुणवत्ता उच्च कोटि की होना प्राथमिकता होगी। कमी पाये जाने पर प्रथम बार निरीक्षण में नोटिस, द्वितीय बार में रू0 5000/– तथा तीसरी बार रू0 10,000/– का अर्थदण्ड एवं चौथी बार जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

12. यात्री प्लाजा के अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी। इसके अतिरिक्त निविदादाता द्वारा प्रत्येक वर्ष हाल्टेज चार्ज में 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

13. निर्धारित खाद्य सामग्री की बिक्री प्रत्येक प्लाजा पर अवश्य करायी जायेगी तथा दरे काउण्टर के सम्मुख स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। निर्धारित खाद्य सामग्री निर्धारित दर पर बिक्री न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनुबंध समाप्ति/अर्थदण्ड जैसी कार्यवाही की जायेगी।

14. लम्बी दूरी की बसों का ठहराव 20 मिनट होगा तथा कम दूरी की बसों का ठहराव 10 मिनट होगा और बस में बैठे यात्रियों को ही पैक्ड सामान उपलब्ध कराया जायेगा। 20 मिनट से अधिक ठहराव की स्थिति में यात्री प्लाजा स्वामी द्वारा बसों की सूची संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी को अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। यदि फिर भी निरीक्षण में 20 मिनट से अधिक ठहराव पाया जायेगा तो यात्री प्लाजा स्वामी के विरूद्ध अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. सभी यात्री प्लाजा के डायनिंग हाल तथा बसों के पार्किग यार्ड में प्लाजा स्वामी द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना आवश्यक है, जिसको आई.पी. एड्रेस लिंक से जोड़ा जाये।

16. प्रतिबस ठहराव हेतु निर्धारित दर की धनराशि परिचालक को ढ़ाबा संचालक द्वारा देनी होगी तथा दी गयी धनराशि का टिकट परिचालक से लेना होगा।

17. "मील ऑन रोड़" ऐप योजना का अनुपालन यात्री प्लाजा स्वामी को करना होगा।

18. संचालन के चयन हेतु यात्री प्लाजा का चयन 02 बीड प्रणाली के अर्न्तगत दिनांकः 29.09.2021 को 16:00 बजे उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष शील्ड टेण्डर बॉक्स खोला जायेगा, जिसमें से प्राप्त टेक्निकल बीड को उसी दिन समिति द्वारा खोला जायेगा। टेक्निकल बीड की सभी अर्हताये पूर्ण पाये जाने पर उस टेण्डरदाता की वित्तीय बीड खोली जायेगी। वित्तीय बीड खोलने की तिथि

Downloaded From www.upsrtc.com

निगम के वेबसाईट www.upsrtc.com अपलोड कर सूचित किया जायेगा। वित्तीय बीड में अधिकतम प्रस्तावित दर को सन्तोषजनक पाये जाने पर उसकी स्वीकृति का निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

19. यात्री प्लाजा खोलने/संचालन करने के संबंध में किसी स्तर से लाईसेन्स प्राप्त की जाने की आवश्यकता होती है तो लाईसेन्स प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व यात्री प्लाजा संचालक का होगा।

20. यात्री प्लाजा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, यात्री के लिये उपयोगी तथा इसके कार्यकलापो पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निगम द्वारा साफ्टवेयर/ऐप/ऑनलाईन के माध्यम से विकसित की गयी प्रणाली यात्री प्लाजा स्वामी को मान्य होगी एवं प्रणाली को सुचारू संचालित करने में सहयोग करेगा। इस पर आने वाले परिवहन निगम/फर्म के व्यय को यात्री प्लाजा स्वामी से निगोसिएसन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

उपलब्ध सुविधाये

1. खॉन–पान के स्थान हेतु न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने के लिये फर्नीचर।
2. निः शुल्क प्यूरीफाईड पेय जल की व्यवस्था।
3. महिला शौचालय– 04।
4. पुरूष शौचालय– 04।
5. यूरिनल सीट– 05।
6. यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम 08 सीलिंग फैन।
7. वॉस बेसिन एवं टावेल, साबुन की उपलबधता।
8. जनरेटर 16 केवीए।
9. डीप फ्रीजर।
10. खॉद्य पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडविल आयल आदि हानिकारक फैट कन्टेन्ट व लो–सेचुरेटेड फैट के दृष्टिकोण उच्चत्तर एफ.डी.ए./एगमार्क मानको के अनुरूप।
11. कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कामर्सियल कनेक्सन या कुकिंग कोल की व्यवस्था।
12. खॉन–पान संबंधित वस्तुओं की दरो की सूची।
13. शिकायत पुस्तिका।
14. हाईजीन साफ–सफाई।
15. (अ) मेन्यू रेट रू0 60 प्रति थाली, जिसमें 4 रोटी(30 ग्राम प्रत्येक), सीजनल सब्जी(100 ग्राम), 150 एम.एल. गाढ़ी दाल, एक मिडीयम कटोरी चावल।
    (ब) रू0 50.00 में पैक्ड 2 स्लाईस की वेज सैडविच या एक कटलेट(100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेट की उपलब्धता।
    (स) रू0 50.00 में पैक्ड 05 पूड़ी(न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं आचार(न्यूनतम 10 ग्राम)
16. 200 किमी या उससे अधिक लम्बी दूरी बस के क्रू को निः शुल्क (न्यूनतम जनता थाली के समतुल्य निः शुल्क भोजन व्यवस्था)
17. निगम कार्मिको को भोजन की दरो में 20 प्रतिशत की छूट दी जाये।
18. पैक्ड खॉन–पान सामग्री को कम्पनी के अंकित एम.आर.पी. सीमा में बिक्रय किया जायेगा।
19. आवश्यकतानुसार निगम द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो में किये गये संशोधन यात्री प्लाज संचालक को मान्य होंगे।

Downloaded From www.upsrtc.com

20. निविदा प्रपत्र कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी के कोष में रू0 1000.00 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. नगद जमा कर निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निगम के वेबसाईट www.upsrtc.com से डाउनलोड कर निविदा शुल्क जीएसटी सहित रू0 1180.00 का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी के नाम प्लेस्ड होगा, टेक्निकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. निविदा दो अलग-अलग सील बंद लिफाफो में टेक्निकल बीड प्रथम लिफाफा एवं वित्तीय बीड द्वितीय लिफाफा होगा, जो सील बंद लिफाफे जिस पर बीड का नाम व पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य है, जो निर्धारित तिथि में टेण्डर बाक्स में डालना अनिवार्य होगा। वित्तीय बीड में निविदादाता द्वारा प्रतिबस ठहराव की दर अंकित की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय में टेण्डर बाक्स खोलने के उपरान्त उसी दिन पहले टेक्निकल बीड खोली जायेगी जिसमें सभी अर्हतायें पूर्ण पाये जाने पर उस टेण्डरदाता की वित्तीय बींड खोली जायेगी, जिसकी सूचना निगम के बेवसाईट पर देखी जा सकती है।

22. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा। निर्धारित तिथि में प्राप्त प्रस्ताओं पर अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण परिवहन निगम मुख्यालय को संदर्भित किया जायेगा। निगम मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही अनुबंध आदि की कार्यवाही की जायेगी।

टेण्डर प्रक्रिया किसी भी स्टेज पर किसी भी समय बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

के0के0तिवारी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी

पत्रांकः- 5043 **/21,वारा0/क्षे0प्र0/जन-ठेका/नीलामी** **दिनांक-** 14/09/**2021**

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(वा0/वि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रबन्धक(एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त सूचना निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम।
5. सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी।
6. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र को इस आशय से कि उक्त सूचना बस स्टेशन के नोटिस बोर्डो पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा करायें।
7. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
वाराणसी

17neelami

Downloaded From www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटो

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
वाराणसी क्षेत्र

मूल्यः– 1,180.00 (जीएसटी सहित)
रसीद सं0:/डी.डी. सं0– ....
दिनांकः–...

निविदाप्रपत्र

निविदादाता का नामः–.. निविदा प्रपत्र जारी करने का दिनांकः– ....

तकनीकी बीड

(...) "यात्री प्लाजा" का अनुबंध करने हेतु निविदा/आवेदन पत्र

1. प्रस्तावदाता(यात्री प्लाजा) का पूरा नामः–...
   एवं पता मोबाईल सहितः–...
2. प्रस्ताव दाता की विधि प्रारिथति(हैसियत):–...
   यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशीप फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म जिसके ओर से आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट अंकित करें।
3. यात्री प्लाज से संबंधित विवरणः–
   (क) स्थान का नाम(प्रस्तावानुसार):–
   (ख) मार्ग का नाम(प्रस्तावानुसार):–
   (ग) तहसीलः–
   (घ) पुलिस थानाः–
   (ड.) लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर अंकित कि0मी0 के अनुसार स्थान की स्थितिः–
   (च) यात्री प्लाजा का नाम(यदि कोई हो):–

4. भूमि जिसपर यात्री प्लाजा बनया जाना हैः–
   कुल क्षेत्रफलः–..................................वर्गमीटर में।
   सड़क पर फ्रन्टेज .... वर्गमीटर में।
   (क) भूमि का स्वामित्व/लीज प्रपत्र जिसके नाम पर हैः–
   (विवरण संलग्न करें)
   (ख) भूमि पर यदि निर्माण है तो उल्लेख करें:–
   (निर्मित भवन का विवरण एवं नक्शा संलग्न करें)

Downloaded From www.upsrtc.com

(ग) न्यूनतम 40 बस यात्रियों हेतु उपलब्ध कुर्सी .... अदद, मेंज................, में अदद, पंखे .... अदद, महिला प्रसाधन– शौचालय .... अदद, यूरिनल ....अदद। पुरूष प्रसाधन शौचालय .... अदद यूरिनल .... अदद।

5. यात्री प्लाजा के निर्माण को पूर्नद्धार कर निगम द्वारा चिन्हित सुविधाओं में स्वीकृत के दिनांक से लगने वाला समय–..

6. वर्तमान में यदि यात्री प्लाजा संचालित है तो उपलब्ध सुविधाओं का विवरण अंकित करें:–

7. यदि निगम द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित सुविधाओं– .... के अतिरिक्त सुविधा दे सकते है तो संलग्न करें।

8. क्या होटल/कैटरिंग कार्य/यात्री प्लाजा के संचालन का पूर्व अनुभव है तो पूर्ण विवरण दे तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें:–..

9. अर्नेष्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट का विवरण:–

10. जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नही....................................

11. यदि जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नही है तो कब तक प्रस्तुत किया जायेगा तिथि लिखे(सफल निविदादाता को आवंटन आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अंदर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा तभी अनुबंध के निष्पादन उपरान्त उन्हे कार्य करने की अनुमति दी जायेगी)..

स्थान.........................

दिनांक......................

निविदादाता/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:–

पता:–

मो0नं0:–

Downloaded From www.upsrtc.com

घोषणा

मैं/हम शपथपूर्वक यह घोषणा करते है कि उपरोक्तानुसार मेरे/हमारे द्वारा दिया गया विवरण सही तथा सत्य है। मैने यात्री प्लाजा को अधिकृत करने विषयक परिवहन निगम द्वारा निर्गत नियम एवं शर्ते भलीभॉति पढ़ एवं समक्ष लिया है, जिसका अनुपालन करने में सहमत हूॅ।

स्थान.........................

दिनांक......................

निविदादाता/आवेदक के हस्ताक्षर

मोबाईल नम्बर:–

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटो

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

वाराणसी क्षेत्र

वित्तीय बीड

(...) ''यात्री प्लाजा'' का अनुबंध करने हेतु निविदा/आवेदन पत्र

1. प्रस्तावदाता(यात्री प्लाजा) का पूरा नामः–...

   एवं पता मोबाईल सहितः–...

2. प्रस्तावित यात्री प्लाजा का नाम (यदि नाम है तो)...

   एवं यात्री प्लाजा का स्थान ....

3. प्रति बस ठहराव हेतु दर रूपये मेंः–...

   (प्रचलित जीएसटी का अंकन अलग से करें)

4. प्रस्ताव का दिनांकः–...

निविदादाता/आवेदक के हस्ताक्षरः–

मोबाईल नम्बरः–

Downloaded From www.upsrtc.com